दस्ती

LR ज़ारिए 27.8.24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू

दिनांक :–27/8/24

क्रमांक राज/2024/364

निमित्त :–

तहसीलदार बुहाना।

विषय :–मुकदमा संख्या 194/2011 उनवान विसम्भर आदि बनाम सतीश आदि
निर्णय दिनांक 8/6/2017 की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुकदमा संख्या 194/2011 उनवान विश्वम्भर आदि बनाम सतीश आदि निर्णय दिनांक 8/6/2017 की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय व डिक्री की नियमानुसार पालना की जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें।

सलग्न : उपरोक्तानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:35:32 IST
Reason: SelfAttested

हस्ता/ 27/8/24

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

6

संवत 2061–2064 खाता संख्या 219 खसरा नम्बर 300, 342/1, 455 किता 3 कुल रकबा 2.37 हैक्टेयर भूमि में सतीश कुमार, सन्दीप कुमार पि. मातादीन मु. गिनिया बेवा मातादीन हि. 2/3 रामोतार श्रीराम रघुवीर पि. कनीराम हि. 1/3 कौम ब्राह्म सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्तानुसार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी की खातेदारी भूमि का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मु. गिनिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जमाबंदी संवत 2019 के अवलोकन से भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण को इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिये कि वे ऐसा कोई साक्ष्य पेश करें जिससे यह साबित हो कि उनका नाम संवत 2019 की जमाबंदी के पश्चात किस आधार पर आया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज होने का आधार प्रकट नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट के प्रतिदावें के संदर्भ में विचारण न्यायालय में तनकी संख्या 4 कायम की गई थी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रतिवादी अपीलांट प्रतिदावा को साबित करने में सफल नहीं रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सदस्य/न्यायिक) भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं (कैम्प झुंझुनूं) पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:35:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि

1. प्रार्थना पत्र वर्णित का क्रमांक दिनांक 80
2. प्रतिलिपी तैयार करने का दिनांक 8-7-24
3. प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक 8-7-24
4. प्रतिलिपी शुल्क 2
5. जारी करने वाले के हस्ताक्षर

रीडर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प झुंझुनूं)